**Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]**

FORM OF ORDER SHEET

**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**

Anganbari Appeal No.- 03 /2019

***Anita Kumari...................................................................Appellant***

***Versus***

***The State of Bihar & Ors....................................................Respondents.***

Web Copy. Not Official.

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 20.03.2023 | **आदेश**<br>प्रस्तुत विविध अपील जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा आंगनबाड़ी अपील सं0–06/2011–12 मे दिनांक–08.12.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–1771/2016 में दिनांक–17.01.2019 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है।<br>उत्तरवादी सं0–04 पूनम कुमारी द्वारा दिनांक–11.12.2019 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। दिनांक–16.09.2021 से उत्तरवादी सं0–04 लगातार अनुपस्थित रही है। उनकी उपस्थिति हेतु दिनांक–09.03.2022, 04.07.2022 को अंतिम अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी वे अनुपस्थित रहीं। पुनः दिनांक–14.02.2023 को उन्हें सुनवाई में भाग लेने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उनके अधिवक्ता को सूचित किया गया। बावजूद इसके सुनवाई की तिथि को वे अनुपस्थित रही। फलतः अपीलार्थी एवं राज्य सरकार के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।<br>अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि रानीगंज परियोजना अंतर्गत (जिला–अररिया) पंचायत–परसाहाट, आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–222 में सेविका पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदन समर्पित किया गया। दिनांक–30.11.2006 को आयोजित आम सभा हेतु मुखिया–सह–अध्यक्ष द्वारा दिनांक–27.11.2006 को सूचना निर्गत की गई एवं आमसभा की निर्धारित तिथि | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | दिनांक–30.11.2006 को प्रारंभिक कार्यवाही में मुखिया (अध्यक्ष) शशिकांत मिश्रा का हस्ताक्षर है, जिसमें सर्वसम्मति से अपीलार्थी क्रमशः | |
| | <u>लगातार</u><br>20.03.2023 | को सेविका पद पर चयन किया गया। आम सभा तिथि को ही सहायिका के प्राप्त आवेदन के आलोक में मंजू देवी पति–निर्मल पासवान का सहायिका पद पर चयन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक किया जाता रहा था। लंबे अंतराल के पश्चात वर्ष 2008 में उत्तरवादी सं0–04 द्वारा समाहर्त्ता, अररिया एवं अन्य जगह उक्त चयन के विरूद्ध आवेदन समर्पित किया गया। जिसपर समाहर्त्ता, अररिया द्वारा आंगनबाड़ी अपील सं0–06/2011–12 में लगभग 9 वर्ष पश्चात दिनांक–08. 12.2015 को अपीलार्थी को सेविका पद से चयनमुक्ति का आदेश पारित कर दिया गया। इनके द्वारा आदेश में यह दर्शाया गया कि कार्यवाही के पश्चात अध्यक्ष (ग्राम पंचायत मुखिया) का हस्ताक्षर नहीं है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उक्त याचिका दाखिल की गई, जिसमें पारित आदेश के आलोक में प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।<br>इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। उत्तरवादी सं0–04 का आमसभा द्वारा चयन इसलिए नहीं किया गया था कि उनके श्वसूर उस समय शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। उनकी मृत्यु पश्चात उनकी विधवा आज भी सरकारी पेंशन प्राप्त कर रही है। उल्लेखनीय है कि आम सभा द्वारा यह विचारण किया गया कि उत्तरवादी सं0–04 पुनम कुमारी की सगी भाभी सहायिका पद की उम्मीदवार थी, जिसमें पुनम कुमारी द्वारा आमसभा में अपना दावा वापस लेते हुए आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2006 की कंडिका 6(च) के अनुरूप दावा वापस लेना विधि अनुरूप था। संलग्न लिखित बहस में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पंचायत नामावली 2011 संलग्न करते हुए अंकित किया है कि संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु सहायिका पद पर चयनित मंजू देवी एवं सेविका पद की अभ्यर्थी पूनम कुमारी एक ही परिवार से तथा आपस में भाभी है। फलतः | |

Web Copy. Not Official.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | अपीलार्थी सेविका एवं उनकी भाभी मंजू देवी का सहायिका पद हेतु चयन किया गया। चयन के पश्चात अपीलार्थी विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए निष्ठापूर्वक केन्द्र का संचालन करती रही। वर्ष 2008 में पुनम कुमारी द्वारा यह विवाद उठाया जाना इसलिए भी<br>क्रमशः | |
| | लगातार<br>20.03.2023 | विधि सम्मत नहीं है कि उनके द्वारा आमसभा के समक्ष अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की आपत्ति नहीं उठाई गई थी। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा मार्गदर्शिका के कंडिका 6(च) का उल्लंघन करते हुए एक ही केन्द्र 222 पर पूनम कुमारी का चयन कर लिया गया, जबकि पूर्व से सहायिका पद पर उनकी भाभी कार्यरत थी। माननीय उच्च न्यायालय, पटना सी0डब्लू0जे0 सी0 सं0–1771/2016 में पारित आदेश के आलोक में प्रस्तुत मामले पर विचारण किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार इसकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।<br>दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–04 पुनम कुमारी द्वारा यद्यपि सुनवाई में भाग नहीं लिया गया है, तथापि उनकी ओर से दिनांक–11.12.2019 को दाखिल प्रत्युत्तर के साथ कहना है कि प्रस्तुत अपील विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–222 पर मार्गदर्शिका, 2006 की अनुरूप अपीलार्थी का सेविका पद पर चयन हुआ था, किन्तु आमसभा की कार्यवाही पंजी में मुखिया का हस्ताक्षर नहीं है बल्कि उप मुखिया द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्षों की सुनवाई की गई है। अपीलार्थी को प्राप्त मेधा अंक 39% एवं उत्तरवादी को 44.42% प्राप्त है। निम्न न्यायालय निदेश के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा जाँच की गई है। अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि चयन के समय इनके श्वसूर शिक्षक पद पर कार्यरत थे। इनके द्वारा आमसभा में भी आपत्ति उठायी गई थी। अपीलार्थी किसी प्रकार से राहत पाने योग्य नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।<br>अपीलार्थी को सुनने एवं निम्न न्यायालय आदेश तथा | |

Web Copy. Not Official.

अभिलेख में संलग्न सु–संगत सभी कागजातों के अवलोकनोपरांत यह स्पष्ट है कि संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र पर चयनित सहायिका मंजू देवी एवं वर्त्तमान में कार्यरत सेविका पुनम कुमारी दोनो एक ही परिवार की है तथा आपस में भाभी है, जो कि चयन मार्गदर्शिका 2006 की कंडिका 6(च) के अनुसार नियमानुकूल नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा मार्गदर्शिका के नियमों की अनदेखी करते

क्रमशः

लगातार
20.03.2023

हुए आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी अनिता कुमारी का संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका पद पर चयन के उपरांत लगातार 9 वर्ष तक कार्य करने के बाद सिर्फ चयन संबंधी प्रक्रिया में त्रुटि के आधार पर इनको चयन मुक्त करना नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खंडित करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रानीगंज, अररिया को आदेश दिया जाता है कि पूर्व में चयनित सेविका अनिता कुमारी को संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका पद हेतु चयन पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.